

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 351]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 28 सितम्बर 2020—आश्विन 6, शक 1942

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-18-2018-1-पाँच-(62).—मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 3 की उपधारा (4) एवं 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2018-1-पाँच-(45), भोपाल, दिनांक 29 जुलाई 2020 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में उल्लेखित अधिकारियों को कॉलम (03) में विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिये अपीलीय प्राधिकारी नियुक्त करती है तथा क्षेत्र के उक्त अधिनियम की धारा 46 के अधीन लंबित या उद्भूत होने वाले अपील प्रकरणों को निपटाने की शक्तियां प्रदान करती है, यह उत्तरदायित्व उनके वर्तमान उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त होगा:—

#### सारणी

अ. क्र. (1)	नाम, पदनाम एवं वर्तमान पदस्थापना (2)	क्षेत्र (3)
01	श्री राघवेन्द्र सिंह, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म. प्र., इन्दौर.	परिक्षेत्र भोपाल परिक्षेत्र इंदौर-02
02	श्रीमती नेहा मीणा, अपर आयुक्त, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म. प्र., इन्दौर.	परिक्षेत्र इंदौर-01
03	श्री एन. एस. मरावी, संचालक, वाणिज्यिक कर, कार्यालय, आयुक्त, वाणिज्यिक कर, म. प्र., इन्दौर.	परिक्षेत्र जबलपुर परिक्षेत्र ग्वालियर

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2020

क्र. एफ ए 3-18-2018-1-पाँच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-18-2018-1-पाँच-(62), दिनांक 28 सितम्बर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव.

Bhopal, the 28th September 2020

No. F A 3-18-2018-1-IV-(62).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 3 and Section 3-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) and in Supersession of this Department's Notification No. F A 3-18-2018-1-V-(45), Bhopal, the 29th July, 2020, the State Government, hereby, appoints the Officers mentioned in Column (2) of the Table below as Appellate Authority for the area specified in column (3) and confers the powers to dispose off the Appeal cases pending or arising Under section 46 of the said act in the area. This responsibility shall be in addition to their present responsibilities:—

TABLE

S. No. (1)	Name, Designation and present posting (2)	Area (3)
01	Shri Raghvendra Singh, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Office of the Commissioner, Commercial Tax, M. P., Indore.	Zone Bhopal Zone Indore-02.
02	Smt. Neha Meena, Addl. Commissioner, Commercial Tax, Office of the Commissioner, Commercial Tax, M. P., Indore.	Zone Indore-01
03	Shri N. S. Maravi, Director, Commercial Tax, Office of the Commissioner, Commercial Tax, M. P., Indore.	Zone Jabalpur Zone Gwalior.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.